न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 04/2025
दायर दिनांक : 10/02/2025
निर्णय दिनांक : 15/12/2025

उनवान

1 गुरूदयाल पिता अमरा बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
2 झुमाबाई पिता अमरा बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
3 बंशीलाल पिता अमरा बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
4 बहादुर सिंह पिता अमरा बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर
5 सुरजमल पिता अमरा बंजारा निवासी बालदियों का खेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1 रामचंद्र पिता चुन्नीलाल गुर्जर निवासी पारी
2 पप्पूलाल पिता केसर देवजी ब्रहाण निवासी पावर हाउस के सामने भूपालसागर
3 गब्बा पिता हीरा बंजारा निवासी पारी
4 दल्लीचंद्र पिता हरलाल गुर्जर निवासी पारी का खेडा
5 लाजवंती पत्नी मोतीलाल मरमट निवासी हीरण मगरी उदयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 5 के नाम हटाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किए गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नाम हटाए जाते है। शेष अप्रार्थीगण सं. 1 3 4 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बालदियों का खेडा पटवार हल्का पारी के खाता सं. 197 के आ0स0 676 रकबा 0.30 है0 आ0स0 677 रकबा 0.26 है0 आ0स0 678 रकबा 0.78 है0 आ0स0 709 रकबा 0.65 है0 आ0स0 710 रकबा 1.25 है0 आ0स0 865/712 रकबा 0.40 है0 आ0स0 866/713 रकबा 0.15 है0 आ0स0 867/711 रकबा 0.50 है0 आ0स0 870/803 रकबा 0.08 है0 कुल किता 9 रकबा 4.07 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.18 13:51:46 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर